प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता मे दिनांक 02.12.2016 को ड्रेनेज, सिवरेज, जलापूर्ति एवं AMRUT योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

दिनांक 02.12.2016 को ड्रेनेज, सिवरेज, जलापूर्ति एवं AMRUT योजनाओं की समीक्षा बैठक की गयी, जिसमें प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, मुख्य महाप्रबंधक, बुडको, मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद, बुडको एवं बिहार राज्य जल पर्षद के कार्यपालक अभियंता एवं अन्य संबंधित विभागीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

2. बैठक में मुख्य महाप्रबंधक, बुडको द्वारा बताया गया कि पूर्व में जो निविदा Cancel हुई है तथा उसके अलावा शेष कार्य के लिए पूर्व में विभाग से अनुमति एवं राशि की माँग की गयी थी। इस संबंध में लगभग 3–4 माह पूर्व बुडको के साथ बैठक हुई थी, जिसमें यह स्पष्ट कहा गया था कि बुडको द्वारा पूर्व में जो अपनी गलती के कारण बैंक गारंटी invoke नहीं किया गया, उसे खर्च मानते हुए अतिरिक्त राशि माँगना मान्य नहीं होगा। यदि Mobilization Advance के विरूद्ध बैंक गारंटी नहीं किया गया तो उसकी जबावदेही बुडको की होगी। 3–4 माह बाद कोई भी प्रस्ताव या संलेख बुडको द्वारा प्राप्त नहीं हुई है। बुडको को निर्देश दिया गया कि 5 दिनों के अंदर संशोधित प्रस्ताव विभाग में भेजें ताकि मामले पर अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सके।

3. मुख्य महाप्रबंधक, बुडको को निर्देश दिया गया कि मुजफ्फरपुर जलापूर्ति योजना का 3 जोन (जिसमें अधूरा कार्य किया हुआ है) का प्राक्कलन तैयार करके विभाग को भेजी जाय। शेष जोन में स्थानीय नगर निकाय द्वारा जलापूर्ति कनेक्शन कराया जाएगा।

4. फुलवारी शरीफ जलापूर्ति योजना के संबंध में 2 दिन पूर्व ही उप परियोजना निदेशक, बुडको द्वारा बताया गया था कि 2 टॉवर का निर्माण हो गया है, नेटवर्किंग भी हो गये हैं, लेकिन फुलवारी शरीफ के नगर कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि उसमें काफी काम बचे हुए हैं एवं कई स्थानों पर लीकेज की समस्या हो रही है। मुख्य महाप्रबंधक, बुडको को निर्देश दिया गया कि शेष बचे कार्य को शीघ्र पूरा करें एवं जहाँ लीकेज हो, वहाँ शीघ्र ठीक कराया जाय। कार्य पूर्ण होने के उपरांत नगर कार्यपालक पदाधिकारी एवं बुडको संयुक्त प्रतिवेदन विभाग को भेजेंगे।

5. बुडको के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि जलापूर्ति कनेक्शन का प्रतिवेदन विभाग में भेजा गया है। इस संबंध में बुडको को पूर्व में स्पष्ट आदेश दिया गया था कि बुडको के कोई प्रतिनिधि जलापूर्ति कनेक्शन का प्रतिवेदन विभाग बैठकर प्रविष्ट कराएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी उनके द्वारा मात्र भेज दिया गया है। निर्देश दिया गया कि बुडको द्वारा वर्तमान में किए जा रहे नगर निकायों में जलापूर्ति परियोजना में बुडको स्वयं हाउस–टू–हाउस कनेक्शन उपलब्ध कराएंगे। जिन वार्डों में बुडको द्वारा जलापूर्ति पाईप नहीं बिछाये जा रहे हैं, उनके बारे में संबंधित नगर निकाय एवं विभाग को प्रतिवेदित करेंगे ताकि उन वार्डों में नगर निकाय द्वारा कार्य कराया जा सके।

6. फुलवारी शरीफ एवं बोधगया जलापूर्ति परियोजना का बुडको के कार्यपालक अभियंता एवं संबंधित निकाय के नगर कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा संयुक्त प्रतिवेदन विभाग को भेजा जाय, जिसमें यह

अंकित हो कि कौन-कौन सी गलियां/पथ कनेक्शन हेतु शेष बचे हुए हैं। शेष बचे पथों/गलियों में नगर निकाय द्वारा कनेक्शन कराया जाएगा।

7. प्रबंध निदेशक, बुडको का यह दायित्व है कि वे सभी नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों के साथ समन्वय करेंगे कि नगर निकाय में कितने पाईप बिछाये गये, कितने कनेक्शन हो गये हैं एवं कितने कनेक्शन किए जाने हेतु शेष बचे हुए हैं तथा जिन क्षेत्रों में नगर निकाय द्वारा पाईप बिछाये जाने एवं हाउस–टू–हाउस कनेक्शन किये जाने हैं, उसकी पूर्ण जानकारी नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी को उपलब्ध करा दी जाय एवं संयुक्त प्रतिवेदन विभाग को भेजी जाय।

8. मुख्य महाप्रबंधक, बुडको द्वारा बताया गया कि झंझारपुर में 2 माह के अंदर पाईप बिछाने का कार्य पूर्ण हो जाएगा एवं इस योजना में हाउस–टू–हाउस कनेक्शन का प्रावधान नहीं है। निर्देश दिया गया कि कनेक्शन भी उक्त क्षेत्र में करा लिया जाय।

9. मुख्य महाप्रबंधक, बुडको को स्पष्ट रूप से बताया गया कि JnNURM के तहत जो भी योजनाएं हैं, उनमें माह दिसम्बर तक खर्च किया जा सकता है। माह दिसम्बर के बाद जो भी अवशेष राशि बचती है, उसे जमा करा दी जाय।

10. मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया कि AMRUT योजनांतर्गत बिहार शरीफ, दरभंगा, बेगूसराय एवं किशनगंज में जलापूर्ति परियोजना के शेष बचे कार्य की निविदा प्रकाशित कर दी गयी है, जिसमें बेगूसराय एवं दरभंगा की निविदा प्राप्ति की तिथि 15 दिसम्बर तथा किशनगंज एवं बिहार शरीफ की निविदा प्राप्ति की तिथि 30 दिसम्बर है। बेगूसराय एवं दरभंगा में माह दिसम्बर के अंत तक तथा किशनगंज एवं बिहार शरीफ में 15 जनवरी से पूर्व तक कार्यारंभ करा दिया जाएगा। आरा शहर की निविदा Cancel हो गयी है, जिसकी पुनर्निविदा करने की कार्रवाई की जा रही है। आरा में भी 15 जनवरी से पूर्व तक कार्यारंभ करा दिया जाएगा।

11. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि AMRUT योजनांतर्गत सभी शहरों का डी०पी०आर० दिनांक 06.12.2016 तक विभाग में समर्पित कर दिया जाएगा। SPUR द्वारा इन डी०पी०आर० को दिनांक 10.12.2016 तक अनिवार्य रूप से Appraisal कर लिया जाएगा ताकि संभावित तिथि 15.12.2016 तक SLTC की बैठक निर्धारित की जा सके।

12. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया कि AMRUT योजना का वर्ष 2015–16 की योजनाओं में जहानाबाद, औरंगाबाद एवं मुंगेर नगर निकायों द्वारा State & Central Share बिहार राज्य जल पर्षद को नहीं भेजा गया है तथा मोतिहारी एवं छपरा नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा State Share Lapse कर दी गयी है। सिवान, किशनगंज एवं बेगूसराय नगर निकायों द्वारा मात्र State Share दिये गये हैं।

उक्तर्युक्त में से 3 नगर निकायों द्वारा State & Central Share एवं 2 नगर निकायों द्वारा State Share Laps करने तथा 3 नगर निकायों द्वारा मात्र State Share दिये जाने के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय एवं इन्हें निर्देश दिया जाय कि वे शीघ्र राशि बिहार राज्य जल पर्षद को हस्तांतरित करे।

श्री अरविन्द कुमार, कार्यपालक अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग, इस हेतु उक्तवत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे तथा संबंधित नगर निकायों से बिहार राज्य जल पर्षद को राशि उपलब्ध कराने के संबंध में समन्वय सुनिश्चित करेंगे।

13. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया कि 30 AMRUT शहरों में से 10 शहरों की योजनाएं (Without Connection) पूर्ण होने की स्थिति में है, जो निम्नवत है :–

"ढाका, रक्सौल, केसरिया, रामनगर, विक्रम, डुमरांव, जगदीशपुर, फतुहा, मसौढ़ी एवं मखदुमपुर।"

मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया कि माह जून, 2017 तक सभी 30 शहरों का कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिया जाएगा। निर्देश दिया गया कि साथ ही इसमें हाउस–टू–हाउस कनेक्शन भी कर लिया जाय।

मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद को निर्देश दिया गया कि उनके द्वारा कराये जा रहे कार्यों में Restoration की शिकायतें प्राप्त होती रही है। Restoration की Quality पर बिहार राज्य जल पर्षद एवं बुडको द्वारा विशेष ध्यान दिया जाय।

14. बैठक में प्रतिवेदित हुआ कि Surface Water का कार्य गंगा के किनारे कई स्थानों पर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा किया गया है। उसका Complete detail लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जाय।

श्री अरविन्द कुमार, कार्यपालक अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग, इस हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई एवं समन्वय सुनिश्चित करेंगे।

15. प्रतिवेदित हुआ कि पटना जलापूर्ति योजनांतर्गत 54 स्थानों में से 18 के अतिरिक्त अन्य 7 स्थानों में टॉवर के लिए NOC प्राप्त हो गये हैं। प्रबंध निदेशक, बुडको, इस महत्वपूर्ण योजना की पूर्ण जानकारी से जिला पदाधिकारी को Surface Water हेतु टॉवर की आवश्यकता से अवगत कराते हुए अनुरोध किया जाय कि वे जमीन का NOC शीघ्र निर्गत करें। मुख्य महाप्रबंधक, बुडको, बैठक में हुए विमर्श के आलोक में 54 स्थानों के लिए संशोधित डी०पी०आर० तैयार कराएंगे।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

2/12/2016

(चैतन्य प्रसाद),
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक–......9000......न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक ...05/12/16...

प्रतिलिपि :– श्री संजय दयाल, विशेष सचिव/अपर सचिव/श्री अरविन्द कुमार झा, सहायक निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, बुडको, पटना/मुख्य अभियंता, बुडा, पटना/श्री अरविन्द कुमार, कार्यपालक अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/12/2016

प्रधान सचिव